तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राकेश कुमार परमार बनाम लो0सू0अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौ0) प्रथम अपील (मु0संख्या 85/2021) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2021/191)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28.12.2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट धौलपुर द्वारा दिए गये जबाब दिनांक 04.08.2021 पर बिदुवार आपत्तियां पेश करते हुये प्रथम अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः अपील/आरटीआई./2021–22/342 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि **बिन्दु संख्या–1** प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग ने अवगत कराया है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्धटना में तोषण निधि स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि के संबध में नवीनतम परिपत्र परिवहन विभाग राजस्थान सरकार की बेवसाइट पर उपलब्ध है। कृपया बेवसाइट का अवलोकन कर वांछित परिपत्र प्राप्त करें। **बिन्दु संख्या–2** में प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग ने अवगत कराया है कि दिनांक 1.1.2018 से आदिनांक तक तोषण निधि योजना के अन्तर्गत इस कार्यालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। **बिन्दु संख्या–3** में प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग ने अवगत करया है कि तोषण निधि योजना के अन्तर्गत सहायता के संबध में आवेदन पत्र तथा जारी दिशा निर्देशों को सबंधित विभाग की बेवसाइट का अवलोकन कर प्राप्त करें। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी बिन्दु संख्या–1 के सम्बध में अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्धटना में तोषण निधि स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि के संबध में नवीनतम परिपत्र परिवहन विभाग राजस्थान सरकार की बेवसाइट पर उपलब्ध है। बेवसाइट का अवलोकन कर वांछित परिपत्र प्राप्त कर सकते है तथा विन्दु संख्या–2 दिनांक 1.1.2018 से आदिनांक तक तोषण निधि योजना के अन्तर्गत न्याय अनुभाग में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विन्दु संख्या–3 के सम्बध में तोषण निधि योजना के अन्तर्गत सहायता के संबध में आवेदन पत्र तथा जारी दिशा निर्देशों को सबंधित विभाग की बेवसाइट का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (आर0 क0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	